



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230267
CG-DL-E-08102021-230267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3845]
No. 3845]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4180(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 100 प्रतिशत पॉलिस्टर स्पून ग्रे और व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 प्रतिशत पॉलिस्टर स्पून ग्रे और व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 100 प्रतिशत पॉलिस्टर स्पून ग्रे और व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1618 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the, 8th October, 2021

S.O. 4180(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) , the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
“(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1618 (E) dated 15th April, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4181(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एथीलीन विनाइल एसीटेट को पोलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथीलीन विनाइल एसीटेट को पोलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. एथीलीन विनाइल एसीटेट को पोलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा”।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1620(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।